भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 747

उत्तर देने की तारीख : 25.07.2023

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019

747. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लक्ष्य और उद्देश्यों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस मामले की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(च) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का निर्देश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) और (ड.): माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक दिनांक 11.12.2019 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा की स्थायी

समिति ने दिनांक 01.02.2021 को इस विभाग को अपनी सिफारिशें भेजी। विधायी विभाग के परामर्श से इन सिफारिशों को समुचित रूप से शामिल किया गया है।

(च): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकार के परामर्श से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दुर्व्यवहार तथा बचाव के मामलों में मुफ्त जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक सहयोग तथा फिल्ड इंटरवेंशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''एल्डरलाइन राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन'' टोल फ्री नंबर 14567 नाम से एक स्कीम चला रहा है। वर्तमान में हेल्पलाइन नंबर 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चालू है।

*****